29.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कैम्प पंचायत मुख्यालय सलेडी पर पेश हुई अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 2 उपस्थित व बहस अपील सुनी गई। अपीलान्ट ने यह इस आशय की पेश की है कि निर्णय दिनांक 14-5-1973 बाबत नामान्तकरण सं. 84 ग्राम सलेडी तह. करौली अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सलेडी खिलाफ कानून है आरवेरेड्डी है परवरिश रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 4 है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। एक पक्षीय है और निरस्त किये जाने योग्य है। और अपील नामान्तकरण विरासत मृतक छाजू पुत्र लल्लू जाति माली निवासी सलेडी का पटवारी हल्का सलेडी का पटवारी हल्का सलेडी द्वारा दिनांक 2-5-1973 को गलत नोट पर छाजू के दो पुत्र चरण रेस्पोडेन्ट नं. 5 व अपीलान्ट को छिपाकर एवं बिना जांच किये खोल दिया जो रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 4 के पिता नाथ्या से मिलकर खोला है और गलत है जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 5 के नाम गलत रूप से छोड दिये जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 5 भी मृतक छाजू के पुत्र गण है। इसलिए और अपील नामान्तकरण निरस्त कर पत्रावली पुनः [illegible] अधिनस्थ न्यायालय को रिमान्ड [illegible] है। और अपील नामान्तकरण की जानकारी दिनांक [illegible] 11-1 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जानकारी

नि. भरत

नि. धीरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:49:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिवस से अपील अन्दर म्याद पेश की है। दिनांक 14-5-1973 से दिनांक 22.11.19 तक के समय की जानकारी अपीलान्ट के अभाव के कन्डोन किये जाने को धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजात सजरा से अपीलान्ट का व रेस्पोडेन्ट नं. 5 का छाजू के पुत्रगण प्रतीत होते है। विरासत नामान्तकरण छाजू की विरासत का दर्ज किया गया है यदि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 5 छाजू के पुत्रगण है तो नामान्तकरण कार्यवाही मे उन्हे सुना जाना उचित है। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सं० 84 दिनांक 14/5/1973 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नामान्तकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये मृतक छाजू के वारिसान की जांच कर पुनः गुणावगुण पर नामान्तकरण पर निर्णय पारित करे विरासत नामान्तकरण दर्ज करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवाई [illegible] आज दिनांक 29.10.2021 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dhirendra Singh Date: 2022.01.11 10:49:26 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी करौली	

Scanned with CamScanner